राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–361/2015/अजमेर

श्री निरंजन कुमार पहाडिया, पुत्र स्व. श्री सुवालालजी
निवासी ग्राम सरवाड, अजमेर। .... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक केकडी, अजमेर। ...अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :
श्री के.जी.खत्री
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.08.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 14.01.2015 प्रकरण संख्या 645/2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक केकडी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी श्री निरंजन कुमार पहाडिया ने अधीनस्थ न्यायालय को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2013 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनसे श्री चांदमल न्याती, न्याती ब्रदर्स, केकडी जिला अजमेर ने 10,00,000/– रू उधार लेकर उनके हक में रसीद निष्पादित की थी। श्री चांदमल न्याती का देहांत हो चुका है जिनके विधिक वारिसान फर्म चला रहे है परन्तु राशि अदा करने में आना–कानी कर रहे है जिससे वे कानूनी कार्यवाही करना चाहते है। उक्त रसीद सहवन से वांछित शुल्क लगा कर निष्पादित नहीं की गई थी। अतः उक्त रसीद दिनांक 01.04.2011 पूर्ण मुद्रांकित कर लौटायी जावे। आदेशिका दिनांक 14.01.2015 के अनुसार श्री निरंजन कुमार पहाडिया द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट अनुसार राशि जमा

२m

लगातार.....2

कराने की सहमति के अनुसार आदेश दिनांक 14.01.2015 पारित किया गया है जिसमे उक्त रसीद पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर 50,000/– रू, सरचार्ज 5,000/– रू कुल राशि रू 55,000/– निर्धारित की तथा अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 के अनुसार शास्ति राशि रू 49,500/–, ब्याज राशि रू. 32,710/– रू कुल राशि रू 1,37,210/– रू देय होना माना परन्तु अधिसूचना दिनांक 16.12.2014 से ब्याज एंव शास्ति में रियायत दिये जाने से केवल मूल मांग राशि रू. 55,000/– पर मुद्रांकित करने हेतु आदेशित दिये जो प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मूल रसीद दिनांक 15.02.2015 जी.आर.एन. नम्बर 4691330 द्वारा जमा करवाये गये है तथा मूल दस्तावेज प्राप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 14.01.2015 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थी ने भयभीत होकर अवैध कायम मांग को मानने पर मजबूर होने पर राशि जमा करवायी है जबकि प्रकरण में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची 6(2)(क) के अन्तर्गत 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर वसूल किया जाना चाहिए था। अतः निगरानी स्वीकार कर अधिक जमा राशि लौटायी जावे।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी ने एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेकर स्वेच्छा राशि जमा करवायी है तथा दस्तावेज मुद्रांकित करवाकर प्राप्त किया है। एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेकर प्रकरण में आगे विधिक चुनौती नहीं दी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

2m

लगातार.....3

7. विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट का लाभ लेने की सहमति के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 14.01.2015 द्वारा मुद्रांक कर व सरचार्ज राशि रू. 55,000/– निर्धारित करते हुए शास्ति रू. 49,500/– एवं ब्याज राशि रू. 32,710/– कुल राशि 1,37,210/– रू की अधिसूचना दिनांक 16.12.2014 के अनुसरण में छूट प्रदान की है जिसे स्वीकार करते हुए प्रार्थी ने स्वेच्छा से राशि जमा करवाकर दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित करवाकर वापिस प्राप्त किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त किया है। इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार जब एक बार किसी आदेश की पालना में ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करते हुए क्रियान्विती कर दी जाती है तो इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित पक्षों ने आदेश को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है। यदि निगरानीकर्ता आदेश को विधिक चुनौती देने के आधार पर ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने हेतु निवेदन करता तो यह संभव है कि सक्षम अधिकारी निगरानीकर्ता को उसका लाभ नहीं देते। माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की खंडपीठ ने निगरानी संख्या 477/2015 मै0 रीजन पावर टैक प्रा0 लि0 बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 22.08.2016 में यह अवधारित किया है कि ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने के पश्चात प्रकरणों में लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि एक प्रकरण में एक प्रकार का लाभ ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने का तात्पर्य अपीलाधीन आदेश को अन्तिम रूप से स्वीकार करना है जिससे निगरानीकर्ता आगे विधिक चाराजोही का अधिकारी नहीं माना जा सकता।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 14.01.2015 यथावत रखा जाता हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य